(भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग II, खण्ड 3, उपखण्ड (i) में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

राजस्व विभाग

(केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमाशुल्क बोर्ड)

अधिसूचना

सं. 02 /2018-सीमाशुल्क (गै.टै.)

नई दिल्ली, दिनांक 05 जनवरी, 2018

सा.का.नि. (अ).- सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 7 की उपधारा(1) के उपवाक्य (कक) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड, भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग II, खण्ड 3, उपखण्ड (i) में सा.का.नि. 193(अ), दिनांक 02 अप्रैल, 1997 के तहत प्रकाशित भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 12/97-सीमा शुल्क (गै.टे.), दिनांक 02 अप्रैल, 1997 में एतदद्वारा निम्नलिखित और संशोधन करता है, अर्थात् -

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, गुजरात राज्य से संबंधित क्रम सं. 4 के सामने, कॉलम (3) में मद (xii) तथा कॉलम (3) और (4) में उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात :-

(3)	(4)
"(xiii) विरमग्राम, गांव भोजवा, तालुका विरमग्राम, जिला अहमदाबाद (गुजरात)	आयातित माल को उतारना तथा निर्यात माल को चढ़ाना"

[फा. सं. 434/05/2016-सीमाशुल्क (IV)]

(जुबैर रियाज)
निदेशक, (सीमा शुल्क)

टिप्पणी : प्रधान अधिसूचना सं. 12/97-सीमा शुल्क (गै.टे.), दिनांक 2 अप्रैल, 1997 को सा.का.नि. 193 (अ), दिनांक 2 अप्रैल, 1997 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खण्ड (3), उपखण्ड (i) में प्रकाशित की गई और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 64/2017- सीमा शुल्क (गै.टे.), दिनांक 30 जून, 2017, सा.का.नि. 804 (अ), दिनांक 30 जून, 2017 के तहत प्रकाशित, के द्वारा संसोधन किया गया है।